संख्या-33 /2021/323/71-3-2021-एन0एम0-24/2019

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
औरैया।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी,2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत मेडिकल कालेज, औरैया से सम्बद्ध जिला चिकित्सालय, चिचौली औरैया के विस्तारीकरण के सम्बन्ध में भूमि क्रय हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2029/डीएलआरसी-जॉच आख्या/2020, दिनांक 23.11.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत मेडिकल कालेज, औरैया से सम्बद्ध जिला चिकित्सालय, चिचौली के विस्तारीकरण हेतु ग्राम-धमसेनी में स्थित 1.214 हे0 भूमि को कृषको से क्रय करने हेतु सर्किल रेट से 03 गुना मूल्य पर आ रही लागत रू0 71,42,280.00 का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूँजी लेखा पक्ष 4210-03-105-64-राजकीय मेडिकल कालेजों में गहन चिकित्सा कक्ष (आई0सी0यू0) की स्थापना 24-वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल **रू0 71.43 लाख (रू0 इकहत्तर लाख तैंतालिस हजार मात्र)** की सम्भावित बचत को मेडिकल कालेज, औरैया से सम्बद्ध जिला चिकित्सालय, चिचौली औरैया के विस्तारीकरण हेतु ग्राम-धमसेनी में स्थित 1.214 हे0 भूमि के क्रय हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र बीएम-9 में उल्लिखित मद में संक्रमित धनराशि को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2020-21 में उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा तथा उक्त मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. नियमानुसार निर्विवाद रूप से भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
5. प्रश्नगत प्रायोजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण अनुसंधान-105-एलोपैथी-0119-मेडिकल कालेज, औरैया-60-भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः-33/2021/323/(1)/71-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, औरैया।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय, औरैया।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, औरैया।
7. नियोजन अनुभाग-4
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 387/71-3-2020-61/2018टीसी-3

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर में विभिन्न मानक मदों हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2019-20/835, दिनॉक 18-03-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा हृदय रोग संस्थान, कानपुर में विभिन्न मानक मदों हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 795.00 लाख की धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष के अंतर्गत रायबरेली रोड स्थित ट्रामा सेन्टर में प्रथम 24 घण्टे निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 39-औषधि तथा रसायन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल **रू0 795.00 लाख (रू0 सात करोड़ पचानवे लाख मात्र)** की सम्भावित बचत को पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र बीएम-9 में उल्लिखित मद में संक्रमित धनराशि को व्यय किये जाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2019-20 में उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा तथा उक्त मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0344-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानुपर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इंस्टीट्यूट" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22-03-2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:-386(1)/71-3-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

11. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
12. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
13. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
14. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
15. वित्त नियंत्रक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
16. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
17. नियोजन अनुभाग-4
18. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
19. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
20. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 386 /71-3-2020-61/2018टीसी-3

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर में विभिन्न मानक मदों हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2019-20/835, दिनॉक 18-03-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा हृदय रोग संस्थान, कानपुर में विभिन्न मानक मदों हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 795.00 लाख की धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष के अंतर्गत रायबरेली रोड स्थित ट्रामा सेन्टर में प्रथम 24 घण्टे निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 39-औषधि तथा रसायन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल **रू0 795.00 लाख (रू0 सात करोड़ पचानवे लाख मात्र)** की सम्भावित बचत को पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र बीएम-9 में उल्लिखित मद में संक्रमित धनराशि को व्यय किये जाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2019-20 में उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा तथा उक्त मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0344-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानुपर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इंस्टीट्यूट" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22-03-2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:-386(1)/71-3-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

21. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
22. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
23. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
24. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
25. वित्त नियंत्रक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
26. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
27. नियोजन अनुभाग-4
28. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
29. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
30. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-247/71-3-2020-61/2018टीसी-3

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक मार्च, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर में विभिन्न मानक मदों हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2019-20/699, दिनॉक 20-02-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा हृदय रोग संस्थान, कानपुर में विभिन्न मानक मदों हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 640.00 लाख की धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष के अंतर्गत सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा के 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल **रू0 235.00 लाख (रू0 दो करोड़ पैंतीस लाख मात्र)** की सम्भावित बचत को पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र बीएम-9 में उल्लिखित मद में संक्रमित धनराशि को व्यय किये जाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2019-20 में उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा तथा उक्त मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0344-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानुपर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इंस्टीट्यूट" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22-03-2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:-247(1)/71-3-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

31. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
32. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
33. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
34. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
35. वित्त नियंत्रक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
36. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
37. नियोजन अनुभाग-4
38. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
39. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
40. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।